



RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक 1664 दिनांक 26.07.2019 के द्वारा संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इण्टर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में कंडिका - 2 में अंकित शर्तों के साथ झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा-04 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	संकाय एवं स्तर	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	B.A (General & Hons.)	Hindi, English, Political Science, History, Economics & Geography (कुल 06 विषय)	2017-20, 2018-2021 एवं 2019-2022 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
2	B.Com (General & Hons.)	All Groups	2017-2020, 2018-2021 एवं 2019-2022 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

2. शर्त:-

- यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक 19.04.86 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।
- विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
- महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।
- आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची

दिनांक 18.9.2019

पत्रांक 59-5598-5701
प्रतिलिपि-

1. प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा।
2. परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
3. प्रभारी, टेबुलेशन सेन्टर, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
4. सहायक कुलसचिव-I, पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची।


कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची

